राजस्थान राज्य महिला आयोग

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

2013–2014

राजस्थान राज्य महिला आयोग

लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर

फोन : 2779001–4 फैक्स : 2779002

E-mail : raj. rajyamahilaaaayog@gmail.com

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
अध्याय – 1	संगठन व शक्तियां	
अध्याय – 2	आयोग का कार्यक्षेत्र	
अध्याय – 3	वर्ष 2013–14 में प्राप्त शिकायतों का विवरण	
अध्याय – 4	आयोग का वित्तीय स्वरूप	
अध्याय – 5	आयोग द्वारा निस्तारित सफल प्रकरणों का विवरण	
अध्याय – 6	महिला हैल्पलाइन	
अध्याय – 7	कार्यस्थल पर महिलाओ का यौन उत्पीडन	
अध्याय– 8	राज्य महिला नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा	
अध्याय– 9	कार्यशाला व सेमीनार एवं जागरूकता कार्यक्रम एवं भ्रमण कार्य	
अध्याय– 10	प्रसंज्ञान एवं जांच	
अध्याय– 11	राज्य सरकार को प्रेषित अनुशंसाएं	

अध्याय –1

संगठन व शक्तियाँ

राजस्थान में महिला आयोग की स्थापना

राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिये राज्य सरकार द्वारा 23 अप्रेल, 1999 को एक विधेयक राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक के पारित होने पर दिनांक 15 मई, 1999 को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ***राजस्थान राज्य महिला आयोग*** का गठन किया गया।

आयोग की संरचना

आयोग के अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्य और सदस्य सचिव सहित चार सदस्य होंगे। सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की और एक अन्य पिछड़ी जाति की महिला होगी।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F-19(295)/99/मबावि/60456 दिनांक 19.11.2011 तथा एफ.1(295) रामआ/मअ/99 /6675 दिनांक 22.02.2012 के अनुसार वर्तमान में आयोग की संरचना इस प्रकार है :

नाम	पद	पद ग्रहण करने की तिथि
प्रो. लाडकुमारी जैन	अध्यक्ष	24.11.2011
श्रीमती रूपा तिवाडी	सदस्य	27.02.2012
श्रीमती लता प्रभाकर चौधरी	सदस्य	27.02.2012
श्रीमती दमयन्ती बाकोलिया	सदस्य	24.02.2012

आयोग में स्वीकृत पदों का विवरण (दिनांक 31.03.2014)

(निदेशालय महिला अधिकारिता की आज्ञा क्रमांक एफ 2(112)/रामआ/संस्था/2006/9483–93
दिनांक 11.03.2014 अनुसार)

(अ)

अध्यक्ष कार्यालय

नाम पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
वरिष्ठ निजी सहायक	1	0	1
निजी सहायक	1	0	1
योग	2	0	2

(ब)

सदस्य सचिव कार्यालय

नाम पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
सदस्य सचिव	1	1	0
आशुलिपिक	1	1	0
योग	2	2	0

(स)

पंजीयक सह–विशेषाधिकारी कार्यालय (राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा)

नाम पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
रजिस्ट्रार	1	–	1
लेखाकार	1	1	0
वरिष्ठ लिपिक	2	2	0
सूचना सहायक	1	1	0
कनिष्ठ लिपिक	7	7	0
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	10	10	0
योग	22	21	1

(द)

	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
उप–सचिव (राजस्थान प्रशासनिक सेवा वरिष्ठ वेतन श्रृंखला)	1	1	0
योग	1	1	0

आयोग की शक्तियाँ

राज्य महिला आयोग को अभियोजन करने का अधिकार प्राप्त है। अधिनियम में इन शक्तियों का समायोजन राज्य की जनता, विधायिका व सरकार का महिला अधिकारों के प्रति संवेदनशील विचारधारा का परिचायक है।

राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 की विभिन्न धाराओं (10, 11, 12, 13) के अनुसार राज्य महिला आयोग को प्रदत्त शक्तियों का विवरण इस प्रकार है :–

धारा–10 हाजिर कराने और दस्तावेजों को पेश कराने की आयोग की शक्तियां–

10(1) :– आयोग को, इस अधिनियम के अधीन किसी भी जाँच के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित विषयों के संबंध में वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन किसी वाद के विचारण के दौरान किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :–

10(1)(क) :– किसी भी साक्षी को सम्मन करना और हाजिर कराना और उसकी परीक्षा करना य

10(1)(ख) :– किसी भी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करना य

10(1)(ग) :– शपथ–पत्रों पर साक्ष्य लेना य

10(1)(घ) :–किसी भी लोक कार्यालय से किसी भी लोक दस्तावेज या उसकी प्रति की अपेक्षा करना य

10(1)(ड़) :– साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन, सम्मन जारी करना य

10(2) :– आयोग को सिविल न्यायालय समझा जायेगा और जब भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में यथावर्णित कोई भी अपराध आयोग की दृष्टि या उपस्थित में किया जाता है, तो आयोग उन तथ्यों को, जिनसे अपराध बनता है और अभियुक्त के कथन को भारतीय दण्ड संहिता, 1860

(1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 को केन्द्रीय अधिनियम 2) में जैसा उपबंधित है उसके अनुसार अभिलिखित करने के पश्चात् मामले को उसके विचारण की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और वह मजिस्ट्रेट,जिसे इस प्रकार का कोई भी मामला भेजा गया है, अभियुक्त के विरूद्ध परिवाद की सुनवाई करने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो वह मामला उसे दण्ड प्रक्रिया संहिंता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 346 के अधीन भेजा गया है।

10(3) :– आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत और धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी और आयोग को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के समस्त प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

धारा–11. :– आयोग के कृत्य

(1) आयेाग निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :–

(i) किसी भी अनुचित व्यवहार की जांच करना, उस पर विनिश्चय करना और उस मामले में की जाने वाली कार्रवाइयों की सरकार को सिफारिश करना य

(ii) महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण विवाद्यकों का या अनुचित व्यवहारों से संबंधित विवाद्यकों का अन्वेषण करना या अन्वेषण करवाना और उनके बारे में किये जाने वाले सुधारात्मक उपायों की सरकार को रिपोर्ट तैयार करना य

(iii) निम्नलिखित के बारे में राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट या रिपोर्टें प्रस्तुत करना :–

(क) प्रवृत्त विधियों में की ऐसी कमियाँ, अपर्याप्तताऐ या खामियाँ जो महिलाओं के समता के संवैधानिक अधिकार और उनके प्रति उचित व्यवहार को प्रभावित करती हैं और ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए उपचारी विधायी उपाय य

(ख) महिलाओं के संबंध में प्रवृत्त विधियों के कार्यकरण को इस दृष्टि से मोनीटर करना ताकि उन क्षेत्रों की पहचान की जा सके जिनमें विधियों का प्रवर्तन पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं है या दोष रहित नहीं किया जा रहा है और उनमें सुधार लाने के लिए किये जाने वाले कार्यपालक या विधायी उपायों की सिफारिश करना य

(ग) राज्य लोक सेवाओं और राज्य लोक उपक्रमों में की गयी भर्तियों को मोनीटर करना और ऐसी भर्तियों के मामले में महिलाओं को समान अवसर की गारण्टी देने हेतु अपेक्षित कार्रवाई, यदि कोई हो, करने के लिए राज्य सरकार को रिपोर्ट करने की दृष्टि से ऐसी भर्तियों को शासित करने वाले नियमों और विनियमों की संवीक्षा करना य

(iv) (क) किसी भी कारागार, पुलिस थाने, हवालातों, उप–जेलों, उद्धार गृहों या अभिरक्षा के ऐसे अन्य स्थानों जहाँ महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, या राज्य सरकार या उसके किन्हीं भी

अभिकरणों जिनमें महिलाओं के उद्धार या आश्रय के प्रयोजन के लिए सरकार से सहायता प्राप्त कर

रहे अभिकरण सम्मिलित हैं, द्वारा चालित महिलाओं के आश्रय स्थल या अन्य इसी प्रकार के स्थानों या किसी भी व्यक्ति द्वारा चालित महिलाओं या लड़कियों के लिए आशयित होस्टलों का और सभी ऐसे अन्य स्थानों का, जिनमें महिलाओं के विरूद्ध किये गये अनुचित व्यवहार का परिवाद किया जाता है, निरीक्षण करना या करवाना और ऐसे स्थानों में महिलाओं और लड़कियों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है उसके बारे में और जाँच करवाना और उपचारी कार्रवाई करने के लिए सरकार को रिपोर्ट करना य

(ख) ऐसे मामलों में, जिनमें आयोग का यह दृष्टिकोण हो कि किसी भी लोक सेवक ने महिलाओं के हितों का संरक्षण करने के बारे में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहण करने के संबंध में अत्यधिक उपेक्षा या उदासीनता बरती है तो वह अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के लिए संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी को सिफारिश कर सकेगा य

(अ) महिलाओं की दशा में सुधार करने की दृष्टि से अपनाये और लागू किये जाने वाले कल्याणकारी उपायों की सरकार को सिफारिश करना य

(vi) महिलाओं के लिए समान अवसर प्राप्त करने के लिए व्यापक और सकारात्मक स्कीम बनाना और ऐसी स्कीमों को लागू करने के लिए कार्यक्रम सुझाना जो राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ अग्रेषित किये जायेंगे और उसका अनुमोदन अभिप्राप्त हो जाने पर उपान्तरणों सहित या उनके बिना उसे लागू करेगा या लागू करवायेगा य

(vii) महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों के संबंध में किसी भी ऐसे कानून के अधीन अभियोजन की कार्यवाही के लिए समुचित प्राधिकारी को सिफारिश करना, जिसमें ऐसे कानून के अपबंधों के अतिक्रमण के लिए शास्ति का उपबंध किया गया हो य

(viii) महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दशा के संबंध में तुलनात्मक अद्यतन सहित, आंकडों का व्यापक अधिकोष संधारित करना, के समर्थन की कार्रवाइयों में उपयोग के लिए ऐसे आंकडों को उपलब्ध करना य

(ix) उत्तराधिकार, संरक्षकता, दत्तक ग्रहण और विवाह–विच्छेद के मामलों में विभेद को दूर करने के लिए, या महिलाओं की गरिमा और मातृत्व के मान को सुरक्षित रखने से संबंधित मामलों के लिए सरकार को विधायन शुरू करने के लिए सिफारिश करना य

(x) महिलाओं के प्रति हुए विभेद और अत्याचारों से उद्भूत होने वाली विनिर्दिष्ट समस्याओं या स्थितियों का विशेष अध्ययन अन्वेषण कराये जाने की अपेक्षा करना और बाधाओं का पता इस दृष्टि से लगाना जिससे कि उन्हें दूर करने की युक्तियों की सिफारिश की जा सके य

(xi) महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए योजना प्रक्रिया के बारे में सलाह देना य

(xii) महिलाओं के किसी बड़े निकाय को प्रभावित करने वाले विवाद्यकों को अन्तर्वलित करे वाले वादकरण के लिए निधि उपलब्ध कराना य

(xiii) महिलाओं से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में, और विशिष्टतया उन विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जिनमें महिलाओं को कठिन परिश्रम करना होता है, राज्य सरकार को सावधि रिपोर्ट प्रस्तुत करना य

(xiv) संवर्धन और शिक्षा संबधी अनुसंधान का जिम्मा लेना जिससे महिलाओं का सभी क्षेत्रों में सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किये जाने के उपाय सुझाये जा सकें और उनकी उन्नति में अड़चन डालने के लिए उत्तरदायी कारणों का, जैसे आवासन और बुनियादी सेवाओं की सुलभता में कमी, कड़ी मेहनत और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य परिसंकटों को कम करने और उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सहाय्य सेवाओं और प्रौद्योगिकी की अपर्याप्तता को परिलक्षित करना य

(xv) महिलाओं से संबंधित मामलों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना य

(xvi) अन्य कोई मामला, जो उस सरकार, आम जनता, प्रेस द्धारा निर्दिष्ट किया जाये या किन्हीं ऐसे अधिकारों के अतिलंघन का स्वप्रेरणा से संज्ञान लेना जिन्हें आयोग महिलाओं के हितों के लिए अपायकर समझे।

धारा–12. अनुचित व्यवहारों की जांच करना– (1) आयोग,–

(क) किसी भी महिला से यह अभिकथित करते हुऐ कि उसके साथ कोई अनुचित व्यवहार किया गया है, कोई लिखित परिवाद या किसी भी रजिस्ट्रीकृत महिला संगठन से वैसा ही परिवाद प्राप्त होने पर य

(ख) अपनी स्वयं की जानकारी या सूचना पर य

(ग) सरकार से किसी भी निवेदन पर य

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे अनुचित व्यवहार की व्यक्तिगत जानकारी हो, किये गये परिवाद पर य

किसी भी अनुचित व्यवहार की जांच कर सकेगा।

(2) जहां परिवाद उप–धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन किया गया है वहां आयोग उस व्यक्ति को, जिसके विरूद्ध परिवाद किया गया है, कोई भी आदेशिका जारी करने से पूर्व स्वयं का यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि परिवाद की जांच करनी आवश्यक है, ऐसी रीति से, जो वह उचित समझे, प्रारंभिक अन्वेषण करवा सकेगा।

(3) (प) जहां वह व्यक्ति, जिसके विरूद्ध परिवाद किया गया है, उपसंजात होता है और आयोग को हेतुक दर्शाता है और उसका समाधान कर देता है

तो उस पर किसी भी कार्यवाही के शुरू किये जाने के लिए कोई और कार्रवाई नहीं की जायेगी य

(पप) जहां वह व्यक्ति, जिसके विरूद्ध परिवाद किया गया है, उपसंजात होता है और आयोग का समाधान करने में असफल रहता है या जहां वह तत्प्रयोजनार्थ नियत दिन को उपसंजात होने में असफल रहता हैं वहां आयोग परिवाद में अभिकथित मामले की जांच करने की कार्यवाही कर सकेगा और यदि आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मामले कोई अनुचित व्यवहार किया गया है या मामले मे कार्यवाही किये जाने का कोई विशेष आधार प्रतीत होता है वहां आयोग राज्य–सरकार को उस मामले में कार्रवाई और अभियोजन प्रारंभ करने की सिफारिश करेगा।

(4) राज्य सरकार, उप–धारा (3) के अधीन आयोग की सिफारिशों की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर–भीतर उन पर विनिश्चय करेगी और आयोग को उसकी सूचना देगी।

धारा–13. अभियोजन का प्रारंभ– यदि धारा 12 के अधीन किसी परिवाद के अन्वेषण के पश्चात् आयोग का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने कोई दाण्डिक अपराध किया है और ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए न्यायालय द्वारा अभियोजित किया जाना चाहिए तो वह इस आशय का आदेश पारित कर सकेगा और संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध, अभियोजन प्रारम्भ कर सकेगा यदि पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं हो, और यदि ऐसे अभियोजन के लिए किसी प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी अपेक्षित हो तो उस प्राधिकारी से ऐसी मंजूरी प्राप्त की जायेगी।

आयोग के कार्य

अधिनियम की धारा 11 में आयोग के कार्यों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। अधिनियम के अनुसार संक्षिप्त में आयोग के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:

(1) महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार की जांच करना, उस पर विनिश्चय करना और उस मामले में की जाने वाली कार्यवाहियों की सरकार को सिफारिश करना।

(2) प्रवृत्त विधियों व उनके प्रवर्तन को महिलाओं के हित में प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाना।

(3) राज्य लोक सेवाओं और राज्य लोक उपक्रमों में महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना।

(4) महिलाओं की दशा में सुधार करने की दृष्टि से कदम उठाना यथा कल्याणकारी उपायों की सरकार को सिफारिश करना, समान अवसर प्रदान करवाने के उद्देश्य से सकारात्मक योजनाएँ सरकार को सुझाना, महिलाओं की

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा के सम्बन्ध में तुलनात्मक अध्ययन व आंकड़ों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के समर्थन की कार्यवाहियों को गति प्रदान करना।

(5) आयोग की दृष्टि में यदि किसी भी लोक सेवक ने महिलाओं के हितों का संरक्षण करने में अत्यधिक उपेक्षा या उदासीनता बरती है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये सरकार से सिफारिश करना।

(6) महिलाओं से सम्बन्धित विद्यमान कानूनों की समीक्षा करना तथा महिलाओं को समुचित न्याय मिले इस दृष्टि से कानून में आवश्यक संशोधन की सरकार से सिफारिश करना।

अधिनियम की धारा 14(1) के अनुसार आयोग राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और ऐसे किसी भी मामले पर, जो उसकी राय में इतना अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसे वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने तक

आस्थगित नही किया जाना चाहिये, विशेष रिपोर्ट किसी भी समय प्रस्तुत कर सकेगा।

धारा 14(2) के अनुसार राज्य सरकार आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट को, आयोग की सिफारिशों पर की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाही और सिफारिशों को अस्वीकार किये जाने के कारणों, यदि कोई हो, के ज्ञापन सहित, राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष रखवायेगी।

राज्य सरकार द्वारा आयोग से परामर्श किया जाना

अधिनियम की धारा 16 के अनुसार राज्य सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीतिगत

विषयों के सम्बन्ध में आयोग से समय–समय पर परामर्श करेगी।

अध्याय 2

आयोग का कार्यक्षेत्र

राज्य महिला आयोग राज्य में महिलाओं पर हिंसा, अत्याचार, दुराचार, असमानता इत्यादि के सम्बन्ध में प्राप्त सभी शिकायतों पर कार्यवाही करता है, चाहे वह शिकायत लिखित रूप में (डाक द्वारा, फैक्स या ई–मेल द्वारा) प्राप्त हुई हो, मौखिक रूप में हो अथवा अन्य किसी आधार पर आयोग द्वारा प्रसंज्ञान लिया लिया जाता है। लिखित रूप में की जाने वाली शिकायत महिला आयोग को सम्बोधित होनी आवश्यक है।

आयोग में महिला उत्पीड़न के विभिन्न मामले जैसे :– उत्पीड़न व दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, बलात्कार, यौन शोषण, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, डायन बताया जाना, रोजगार में भेदभाव, जमीन–जायदाद में हिस्सा न देना, उत्तराधिकार, द्विविवाह, पति द्वारा अभित्यजन, सम्बन्धियों द्वारा यौन शोषण आदि से सम्बन्धित शिकायतें दर्ज की जाती हैं। शिकायतों के निवारण के प्रयासों के अतिरिक्त आयोग द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु जागरूकता अभियान, जनसुनवाई, कार्यशालाएँ परिचर्चा, संगोष्ठियाँ तथा सेमीनारों का आयोजन किया जाता है। आवश्यकतानुसार शिकायतों की जॉच हेतु जॉच समितियों का गठन भी समय–समय पर किया जाता रहा है।

(1) जैण्डर प्रकोष्ठ :–

यह प्रकोष्ठ महिला आयोग के लिए महत्वपूर्ण इकाई के रूप में कार्य करता है। राजस्थान राज्य में जैण्डर समानता, सामाजिक समानता व महिला सशक्तीकरण के साथ–साथ मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्युदर में कमी लाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर पैरवी हेतु राजस्थान राज्य महिला आयोग में अपने स्तर पर इस प्रकोष्ठ का (जैण्डर प्रकोष्ठ) का संचालन किया जाता रहा है। इस इकाई के माध्यम से राज्य महिला आयोग द्वारा लैंगिक समानता, अधिकार के साथ सामाजिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण के मुद्दों पर कार्य किये गये। जिसके अन्तर्गत महिला सशक्तीकरण एवं आमुखीकरण से सम्बन्धित कार्यशालाएँ, महिला जनसुनवाई, जनसंवाद, सम्मेलन एवं प्रलेखन आदि कार्य

प्रमुख है। समता व समानतापूर्ण समाज का सपना साकार करने के लिए महिलाओं को जागरूक बनाने का इस दिशा में विशेष महत्त्व है। इसी उद्देश्य से आयोग द्वारा समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

(2) शिकायत प्रकोष्ठ

कोई भी महिला या उसके रिश्तेदार राजस्थान राज्य महिला आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायतें डाक द्वारा, फैक्स द्वारा, ई–मेल द्वारा, हैल्पलाइन पर फोन करके अथवा व्यक्तिशः स्वयं आयोग में उपस्थित होकर लिखित अथवा मौखिक रूप से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आयोग प्रशासन द्वारा उक्त प्राप्त शिकायतों के समाधान हेतु उचित स्तर पर समुचित कार्यवाही की जाकर पीड़िता को त्वरित न्याय दिलवाने का भरसक प्रयास किया जाता है।

स्वयं आयोग द्वारा प्रसंज्ञान लेकर दर्ज की गई शिकायतें जिनके निस्तारण में पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों या अन्य संस्थाओं के सहयोग की भूमिका होती है, आयोग की शिकायत शाखा में पंजीकृत की जाती है। प्रकरणों की प्रकृति के अनुसार आयोग द्वारा पत्र व्यवहार कर संबंधित विभाग के अधिकारी को समस्या के शीघ्र समाधान के लिए निर्देशित किया जाता है। आयोग द्वारा ऐसे प्रकरणों पर उनके निस्तारण होने तक नियमित निगरानी की जाती है और त्वरित गति से पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को सक्रिय किया जाता है।

आयोग में प्राप्त शिकायतों में निम्न प्रकार से कार्यवाही की जाती है :–

- परिवारिक मामलों में संबंधित सभी पक्षों को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु सम्मन जारी किये जाते हैं।

- पुलिस द्वारा किये जा रहे जांच कार्य को गति प्रदान करवाना। यदि थाने द्वारा शिकायत दर्ज नहीं की जा रही हो तो दर्ज करवाना।
- विभिन्न अधिकारियों द्वारा महिला उत्पीड़न सम्बन्धी मामलों में की जाने वाली कार्यवाही को निश्चित अवधि में सुनिश्चित करवाना।

(3) व्यक्तिगत सुनवाई

राज्य महिला आयोग का यह महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ है इसके माध्यम से कई टूटे हुए परिवारों को पुनः बसाया जाता है। इस प्रकोष्ठ द्वारा वैवाहिक जीवन व पारिवारिक समस्याओं के बारे में प्राप्त शिकायतों पर दोनों पक्षकारों को सम्मन जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई बाबत् आयोग में तलब किया जाता है और नियत

पेशी के दिन आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा दोनों पक्षकारों की सुनवाई व समझाइश की जाती है और कई मामलों में पति–पत्नी में समझौता करवाकर आयोग से ही उन्हें साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है। पीड़ित महिलाओ को इस प्रकोष्ठ के माध्यम से त्वरित न्याय दिलाया जाता है। इस प्रकोष्ठ के द्वारा घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, स्त्रीधन की सुपुर्दगी व द्विविवाह संबंधी मामलों का भी दोनों पक्षकारों की आपसी समझाइश के माध्यम से समाधान किया जाता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई की कार्रवाई आयोग द्वारा की जाती है। आयोग की सुनवाई पीठ द्वारा पीड़ित महिलाओं को उसके पति व ससुरालजनों से भरण–पोषण राशि व उसका स्त्रीधन भी शीघ्र कार्यवाही कर दिलवाया जाता है।

ऐसे मामलों में, जिनमें आयोग उचित समझता है, शिकायत से संबंधित पक्षकारों को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग में बुलाया जाता है तथा पक्षकारों को राहत प्रदान करने के लिए उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। आयोग पक्षकारों द्वारा

शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित सभी पक्षों को बुलाकर आपसी बातचीत व समझाइश द्वारा समाधान करवाने का प्रयास करता है। पहले से दर्ज मामलों में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु पेशी की तारीखें निर्धारित की जाती हैं।

(4) जनसुनवाई

(अ) उद्देश्य

राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम की धारा 15 खण्ड (प) के अनुसार महिलाओं से सम्बन्धित मामलों में उनकी पीड़ा सुनकर उसका निदान करवाना आयोग का एक प्रमुख कार्य है। ऐसी उत्पीड़ित महिलाऐं जिनको महिला आयोग के बारे में जानकारी नहीं है या वह आयोग तक पहुंच नहीं पाती है तो आयोग जिला मुख्यालय पर जाकर उन महिलाओं की स्थानीय जिला प्रशासन के साथ महिला सुनवाई आयोजित करता है और यथा–सम्भव जिला स्तर पर उत्पीडित महिलाओं को तुरंत राहत दिलवाता है।

इस क्रम में महिलाओं को त्वरित न्याय दिलवाने व महिलाओं के साथ हो रहे विभिन्न प्रकार के सामाजिक अन्याय की वास्तविक स्थिति की जानकारी लेने

की दृष्टि से आयोग द्वारा विभिन्न स्थानों पर जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।

राजस्थान राज्य महिला आयोग महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण व अत्याचार जैसे मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए आयोग में प्राप्त समस्याओं और शिकायतों के निराकरण हेतु समय–समय पर जनसुनवाइयों का आयोजन कर महिलाओं को न्याय दिलाने व उन्हें संबल प्रदान करने का कार्य करता है।

जन–सुनवाई कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य रूप से राज्य महिला आयोग, जिला प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सम्बन्धित स्थल पर कार्यरत स्वयंसेवी संगठन, की भागीदारी रहती है। जिला स्तर पर जन–सुनवाई आयोजन का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को न्याय व राहत दिलवाना है, जो पीड़ित हैं तथा आयोग के जयपुर स्थित कार्यालय पहुंचने में असमर्थ हैं।

(ब) कार्यक्रम की प्रक्रिया

जिस स्थान पर जन–सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, उस जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जिला प्रशासन द्वारा जनसुनवाई के बारे में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाता है तथा जनसुनवाई वाले दिन पीड़ित महिलाओं का पंजीयन किया जाता है। पीड़िता को भी व्यक्तिगत रूप से बुलाकर उसकी समस्या सुनी जाती है तथा मौके पर ही उचित कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को तत्काल उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

जन–सुनवाई के दौरान प्राप्त प्रकरणों को यथासम्भव सुनवाई स्थल पर ही निस्तारित करने के प्रयास किये गये हैं लेकिन कुछ प्रकरणों के निस्तारण में जाँच कार्यवाही के कारण समय लगता है। उन प्रकरणों की आयोग द्वारा निगरानी की जाकर पीड़िता को न्याय दिलवाया जाता है। जन–सुनवाई में पीड़िता निर्भीक होकर अपनी बात आयोग को कहती है, जिससे समस्या की गहराई तक जाकर उसका समाधान त्वरित गति से किया जाना सम्भव हो जाता है। पीड़िता से सीधा संवाद स्थापित होने से वह भी अपने आप को संकट के समय अकेला महसूस नहीं करती है। जनसुनवाई के साथ–साथ महिला जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किये गये। स्कूल व कॉलेज के छात्र–छात्राओं के महिला मुददों पर संवाद स्थापित किए गये जिससे महिला के हित में बने कानूनों की जानकारी के साथ संवैधानिक मानवाधिकारों की जानकारी दी गई। इस प्रकार राजस्थान राज्य महिला आयोग महिला सशक्तीकरण की दिशा में निरन्तर प्रयास कर रहा है।

कार्यक्रम वर्ष 2013–14 में आयोग द्वारा 23 जिलों में जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. स.	जिले का नाम	जनसुनवाई दिनांक	कुल प्राप्त प्रकरण
1.	टोंक	15.04.2013	34
2.	नागौर	22.04.2013	182
3.	दौसा	23.07.2013	156
4.	जोधपुर	27.07.2013	55
5.	जैसलमेर	29.07.2013	61
6.	बाड़मेर	30.07.2013	44
7.	पाली	31.07.2013	43
8.	प्रतापगढ़	05.08.2013	85
9.	बांसवाड़ा	06.08.2013	49
10.	डूंगरपुर	07.08.2013	22
11.	उदयपुर	08.08.2013	38
12.	राजसमन्द	12.08.2013	134
13	चित्तौडगढ़	13.08.2013	68
.14.	भीलवाड़ा	14.08.2013	142
15.	झालावाड	22.08.2013	78
16.	बारां	23.08.2013	415
17.	धौलपुर	30.08.2013	30
18.	कोटा	02.09.2013	97
19.	बूंदी	03.09.2013	93
20.	अजमेर	06.09.2013	127
21.	झुन्झुनू	21.01.2014	30
22.	सीकर	22.01.2014	60
23	अलवर	28.01.2014	51

उपरोक्तानुसार टोंक, नागौर, दौसा, जोधपुर, जैसलमेर, बाडमेर, पाली, प्रतापगढ़, बांसवाडा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाडा, झालावाड़, बारां धौलपुर, कोटा, बूंदी, अजमेर, झुन्झुनूं, सीकर, अलवर जिलों में जनसुनवाई का आयोजन किया जा चुका है।

इन जन–सुनवाइयों में उत्पीड़न व दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा के मामले (जैसे भरण–पोषण नही देना, बच्चे छीनकर ले जाना, घर से बाहर निकाल देना आदि) छेड़छाड़, बलात्कार, यौन उत्पीड़न/शोषण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, डायन बताकर प्रताडना देना, रोजगार में भेदभाव, जमीन–जायदाद में हिस्सा न देना, उत्तराधिकार, द्विविवाह, पति द्वारा अभित्यजन, सम्बन्धियों द्वारा यौन शोषण के अलावा महिला पेंशन से संबंधित– विधवा पेंशन, वृद्वावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन व परित्यक्ता पेंशन आदि से सम्बन्धित शिकायतों के समाधान के प्रयास जिला स्तर पर किये गये हैं।

अध्याय – 3

आयोग द्वारा वर्ष 2013–14 में प्राप्त शिकायतों का विवरण

वर्ष 2013–14 में आयोग का विभिन्न प्रकृति की शिकायतें व्यक्तिगत व जनसुनवाई में एवम् डाक द्वारा प्राप्त हुई जिनमे दहेज क्रूरता, दहेज हत्या, भरण–पोषण, हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, बलात्कार का प्रयास, अपहरण, यौन उत्पीड़न, भूमि विवाद व घरेलू हिंसा की शिकायतें प्राप्त हुई। आयोग में दर्ज शिकायतों के आकड़ें निम्न प्रकार हैं।

दिनांक 01 अप्रेल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक आयोग में प्राप्त प्रकरणों की स्थिति

कुल प्राप्त प्रकरण	निस्तारित	प्रक्रियाधीन	
4743	1394	3349	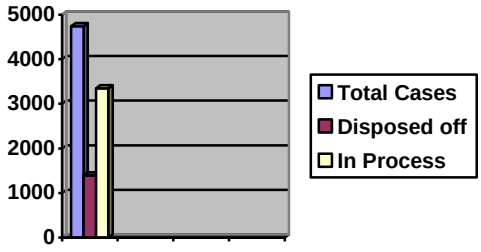

अध्याय – 4

आयोग का वित्तीय स्वरूप

राजस्थान राज्य महिला आयोग को राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जाती है। वर्ष 2013–2014 में आयोग द्वारा प्राप्त की गई एवं व्यय की गई राशि का विवरण निम्नांकित है।

Income & Expenditure Statement
for the Year 2013-2014

S.N.	Income	Amount	Expenditure	Amount
1.	**Opening Balance**	4850053.05		
	(i) At Donation A/c 65010.98		1.Commission Expenditure	14012051.00
	(ii) NCW - 11795.00		2.Advance P.W.D.	1000000.00
	(iii)Unicef- 8547.00		3. NRHM	16013.00
	(iv) N.R.H.M. 258294.00			
	343646.98			
	(v) Commission :-			
	P.D.A/cNo.14-(Emp.fund) 864042.00			
	P.D.A/c No.122 - 2486416.00			
	Cash at Bank 1153630.07			
	Cash in Hand 2318.00			
	4506406.07			
2.	**Receipt**			
	(i) State Government	13500000.00	3. **Closing Balance**	
	(ii) Unicef	0.00		3346382.07
	(iii) NRHM	0.00	(i)Unicef 8547.00	
			(ii) NRHM 242281.00	
			(iii) NCW 11795.00	
			262623.00	
			(v) Commission :-	
			P.D.A/cNo.14-(Emp.fund) 864042.00	
			P.D.A/c No.122 - 875280.00	
			Cash at Bank 1343207.07	
			Cash in Hand 1230.00	
			3083759.07	
3.	Sale of Raddi	0.00		
4.	Bank interest on SB A/c	39418.00		
5.	Bank int. on Donation Bank A/c	3321.00	At Donation A/c 68331.98	68331.98
6.	Nakal Charges	3599.00		
7.	Sale of Tender Form	0.00		
8.	Security Deposite	0.00		
9.	Vehicle Rent	5000.00		
10.	Staff Advance	2523.00		
11.	Donation	0.00		
12.	Int. on PD A/c	38864.00		
	Total	**18442778.05**	**Total**	**18442778.05**

अध्याय–5

आयोग द्वारा निस्तारित सफल प्रकरणों का विवरण

आयोग द्वारा वर्ष 2013–2014 में प्राप्त आवेदनों पर उभयपक्षों के बीच समझाइश कर कई प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इनमें से कुछ सफल प्रकरण निम्नानुसार है :–

प्रकरण संख्या–एक

गीता एक पिछड़े वर्ग की महिला है, जिसका बाल विवाह हुआ था। पति से अनबन होने के कारण वह कुछ समय से पीहर में ही रह रही थी। पिता की मृत्यु हो जाने तथा छोटे भाई के अध्ययनरत होने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। परेशान होकर गीता ने नौकरी करनी शुरू की लेकिन सेठ की नीयत ठीक नहीं होने के कारण एवं उसके द्वारा परेशान करने पर गीता ने केवल 15 दिन मजदूरी कर नौकरी छोड़ दी। सेठ ने 15 दिन की मजदूरी तो दे दी लेकिन धमकी दी गई। एक दिन गीता घर लौट रही थी तो एक कार आकर रूकी और उसे जबर्दस्ती कार में डालकर कपासन (चित्तौड़गढ) के पास रेलवे पटरी पर ले जाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद सम्भवतया साक्ष्य समाप्त करने के उद्धेश्य से रेल की पटरी पर आती हुई रेल के सामने पटककर भाग गऐ। गीता के रेल दुर्घटना में घुटनों से ऊपर तक दोनों पैर कट गऐ। इस हृदय विदारक घटना को महिला आयोग ने बड़ी गंभीरता से लिया और प्रसंज्ञान लेते हुये कार्रवाई प्रारम्भ कर दी। उदयपुर में हॉस्पीटल में भर्ती पीड़िता से अध्यक्ष स्वयं मिलने गयी। कलक्टर व एस.पी. चित्तौड़गढ से फोन पर बातचीत कर तथा पत्र द्वारा तुरन्त आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने हेतु निर्देशित किया गया। महिला आयोग द्वारा गीता का महावीर विकलांग समिति, जयपुर में उसे निःशुल्क बोर्डिग व लौजिंग की सुविधा के साथ उसके दोनों पैर में केलिपर्स लगवाये गये व ऑटो ट्राइसाइकिल दिलवायी गई। गीता को विकलांग पेंशन, छोटे भाई को पालनहार योजना, उसकी मां को विधवा पेंशन, बी.पी.एल. कार्ड तथा इन्दिरा गांधी आवासीय योजना का लाभ दिलाने हेतु प्रशासन को लिखा जा चुका है एवं इस हेतु प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई गई है। गीता को बी.पी.एल, विकलांग पेंशन, पीड़ित प्रतिकर

अधिनियम के तहत आर्थिक सहायता दिलवायी। गीता का बलात्कार का प्रकरण सक्षम न्यायालय में लम्बित है।

प्रकरण संख्या–दो

विमला कम उम्र में ही विधवा हो गई। पति की मृत्यु के बाद ससुराल पक्ष ने उस पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। एक दिन विमला बाड़े में पशु का दूध निकालकर लौट रही थी। पहले से ही घात लगाकर बैठे देवर व ननद ने उसको मारा–पीटा और कपड़े फाड दिऐ। इन लोगों ने विमला को घसीटते हुए गांव के बीच बने मंदिर पर ले गऐ और विमला की ही साड़ी से मंदिर के खंभे से बांध दिया और लाठियों से मारा। ससुर अपनी विधवा पुत्रवधू को उसके हिस्से की जमीन नहीं देना चाहता था। इस कारण देवर, ननद और ससुर ने उसके साथ मारपीट, लज्जा–भंग जैसा अमानवीय कृत्य किया। आयोग के ध्यान में जब यह दर्दनाक घटना सामने आई तो त्वरित कार्यवाही की गई। देवर, ननद और ससुर को गिरफ्तार करवाया गया।

प्रकरण संख्या –तीन

सारिका अल्पसंख्यक समुदाय की नाबालिग बच्ची है। वह अपनी तीन बहिनों के साथ सिनेमा देखकर रात 9 बजे घर लौट रही थीं। दो वहशी युवक जीप में सवार होकर आऐ और सारिका को जीप में डालकर ले गऐ। साथ चल रही तीनों बहिनों ने शोर–शराबा किया। इस पर लोगों ने उस जीप का पीछा किया लेकिन वह पकड़ में नहीं आई क्योंकि उसकी गति बहुत तेज थी। इन दोनों वहशी युवकों ने उस नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और सड़क पर पटककर भाग गऐ। जब यह प्रकरण महिला आयोग के संज्ञान में आया तो तुरन्त प्रशासन को आवश्यक दिशा–निर्देश दिऐ। राज्य महिला आयोग की ओर से पीड़िता की मदद हेतु रू. 25000/–(रूपये पच्चीस हजार मात्र) उसके सीकर स्थित बैंक खातें में सीधे जमा करवाये गये। मुख्यमंत्री सहायता कोष द्वारा पीड़िता को रू. 5,00,000/–(रूपये पॉच लाख मात्र) की आर्थिक सहायता दी गई।

स्वयं आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा अस्पताल जाकर लगातार बच्ची के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली गई एवं प्रकरण की प्रभावी मोनीटरिंग की गई। सारिका के नाजुक अंगों के लगभग 17 ऑपरेशन जयपुर के सरकारी

अस्पताल में और नई दिल्ली स्थित एम्स में करवाए गए। राजस्थान हाउस, नई दिल्ली में उसके परिवार को आवास व खाने के सुविधा राजस्थान सरकार द्वारा मुहैया करवाई गई। अभी हाल ही में आयोग सारिका व उसके परिवार से सीकर जाकर मिलकर आया। सारिका अब स्वस्थ है और वह अपने पैतृक राज्य में जाना चाहती है।

नोट : उक्त सभी नाम काल्पनिक है।

अध्याय–6

महिला हैल्पलाइन

वर्ष 2012–13 की बजट घोषणा में माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा महिला आयोग में महिला हैल्पलाइन की घोषणा की गई थी, जिसकी अनुपालना में अगस्त 2012 से महिला आयोग में हैल्पलाइन का संचालन किया जा रहा है।

वित्त विभाग से पूर्व में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के अनुसार प्रतिदिन 24 घन्टे चलने वाली इस महिला हैल्पलाइन में चार परामर्शदाता (प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से) कार्यरत है। आयोग द्वारा उनकी योग्यता एम.एस. डब्ल्यू, विधि स्नातक, समाज शास्त्र/मनोविज्ञान/ मानवशास्त्र में स्नातकोत्तर निर्धारित की गयी तथा साथ ही 5 वर्ष का अनुभव भी वांछित है।

उक्त हैल्पलाइन में पीडित महिलाओं के सहायता निम्न प्रकार से टेलीफोन कार्यरत हैं :–

- टेलीफोन नम्बर 0141–2744000 (लैण्डलाइन से)
- टोल फ्री 181 (लैण्डलाइन से)
- 18001806781 (मोबाइल से)

दिनांक 01 अप्रेल 2013 से 31 मार्च, 2014 तक प्राप्त प्रकरणों का विवरण

Call detail	Reg. Total Cases	In Process	Disposed Off
21960	629	22	607

अध्याय –7

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन–उत्पीड़न से संबंधित मामलों में आयोग द्वारा कार्यवाही

- विशाखा गाइडलाइन के पाश्चात् अब नये कानून ''महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013,'' बनने के बाद उसके अनुसरण में जिला स्तर पर स्थानीय समितियों के गठन तथा आन्तरिक समितियों के गठन हेतु निर्देशित किया गया।
- कार्यस्थल पर काम–काजी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने हेतु गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ प्रभावी तथा ठोस कार्यवाही करने हेतु अध्यक्ष महोदया द्वारा पत्रांक 4769 दिनांक 16.09.2013 मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार को प्रेषित किया गया।
- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध तथा निदान) अधिनियम, 2013 (वर्ष–2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 14) के अन्तर्गत जिला स्तर पर जिला कलक्टर के अधीन स्थानीय शिकायत समिति तथा विभाग/नियोक्ता स्तर पर आन्तरिक शिकायत समितियों के गठन की कार्यवाही हेतु महिला अधिकारिता को पत्र लिखा गया। परिणामस्वरूप विभाग के आदेश जारी किये गये। आयोग की जानकारी में जब–जब भी यह मामला आया कि अमुख कार्यालय/संस्था परिषद में नये कानून के निर्देशानुसार शिकायत समितियों का गठन नहीं हुआ या हो भी गया लेकिन नये कानून के अनुसार नहीं हुआ तो उन्हें पत्र लिखकर नये कानून के अनुसार समिति गठित करने हेतु निर्देशित किया गया।

अध्याय–8
राज्य महिला नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा

राज्य महिला नीति 2000 की संरचना एवं घोषणा में राज्य महिला आयोग का सक्रिय योगदान रहा है। इस संबंध में राज्य महिला आयोग महिला एवं बाल विकास विभाग से समन्वय स्थापित कर समय–समय पर महिला नीति के क्रियान्वयन की रिपोर्ट प्राप्त करता है और इस आधार पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी राज्य सरकार को प्रेषित करता है।

राज्य महिला आयोग द्वारा वर्तमान राज्य महिला नीति की समीक्षा का कार्य प्रारम्भ कर राज्य महिला नीति की समीक्षा से संबंधित दस्तावेज, कार्यवाही व आंकडें एकत्रित कर नियमित रूप से आगे का कार्य करने हेतु एक कोर कमेटी का गठन किया गया। राज्य महिला नीति, 2000 का पुनरावलोकन कर नई महिला नीति बनाने हेतु राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों तथा स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न बैठकों का आयोजन किया गया।

महिला नीति 2000 का पुनरावलोकन कर नई महिला नीति का अन्तिम प्रारूप शीघ्र बनाया जाना प्रक्रियाधीन है।

अध्याय–9

कार्यशाला, सेमीनार, सम्मेलन एवं जागरूकता कार्यक्रम

(अप्रेल, 2013 से मार्च 2014)

महिला उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने, महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने तथा समाज में लैंगिक समानता को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोग द्वारा समय–समय पर विभिन्न सामाजिक संगठनों, योजना आयोग, योजना बोर्ड राजस्थान, पुलिस कमिश्नर, जयपुर, बुद्धिजीवियों एवं महिला अधिकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ कार्यशालाऐं, सेमीनार तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं सं.	दिनांक	आयोजित कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण
1	19.07. 2013	विधि आयोग की 227वीं रिपोर्ट के आधार पर इस्लाम धर्म में परिवर्तित होकर द्विविवाह करने पर पीड़ित महिलाओं की समस्या के समाधान बाबत् बैठक का आयोजन।
2	19.07. 2013	धारा 498 ए की समीक्षा हेतु बैठक का आयोजन।
3	16.08. 2013	मुस्लिम महिलाओं की समस्या के निवारण हेतु बैठक का आयोजन।
4	7.10.2013	विधि आयोग की 227 वीं रिपोर्ट के अनुसार इस्लाम में संपरिवर्तित होकर द्विविवाह रोकने हेतु बैठक का आयोजन।
5	16.12. 2013	राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा Safe Public Spaces for Women and Girls विषय पर आयोजित सेमीनार में सहभागिता।
6	19.12. 2013	कार्यस्थल तथा सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा तथा उनके लिए भयरहित वातावरण तैयार करने तथा संबंधित कानूनों के क्रियान्वयन हेतु प्रेस कॉन्फ्रेस का आयोजन।

7	20.12. 2013	कार्यस्थल एवं अध्ययन स्थल पर छात्राओं की सुरक्षा (Safety & Security) विषय पर राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रावासों में निवास कर रही छात्राओं के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन।
8	29.12. 2013	Safe Public Spaces for Women and Girls विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।
9	27–28.02. 2014	राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा डायन प्रथा रोकथाम हेतु आयोजित सेमिनार में राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा सहभागिता की गई है।

अध्याय–10

प्रसंज्ञान एवं जांच

(अ) आयोग में सीधे आने वाले केसेज़ के अलावा मीडिया (प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक) द्वारा प्रकाशित/प्रसारित मामलों में भी आयोग द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया है। वर्ष 2013–14 में कुल 56 प्रकरणों आयोग द्वारा स्वप्रसंज्ञान लिया जाकर पीडिताओं को त्वरित राहत दिलवाने हेतु संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखे गये।

(अवधि 01.04.2013 से 31.03.2014)

क्र.	दिनांक	घटना का विवरण	समाचार पत्र का विवरण	आयोग द्वारा की गई कार्रवाई
1.	25.04. 2013	''सुपरवाइजर ने तैयार किये आपत्तिजनक फोटो''	दैनिक नवज्योति में प्रकाशित समाचार दिनांक 25.04.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, जयपुर (पूर्व), जयपुर को पत्रांक प.( )रामआ/प्रसंज्ञान /2013/ 550दिनांक 21.03.2013 प्रेषित
2.	25.04. 2013	''कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या''	दैनिक नवज्योति में प्रकाशित समाचार दिनांक 25.04.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर को पत्रांक .( )रामआ/प्रसंज्ञान /2013/ 548 दिनांक 06. 05.2013 प्रेषित
3.	25.04. 2013	"Rape bid on minor foiled, accused killed"	Times of India में प्रकाशित समाचार दिनांक 25.04.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को पत्रांक प.( )रामआ/प्रसंज्ञान /2013/ /547 दिनांक 06.05.2013 प्रेषित
4.	29.04. 2013	''दोस्ती नहीं की तो वार्डन ने नेत्रहीन छात्रा को पीटा'' जयपुर।	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 29.04.2013	प्रमुख शासन सचिव, सामाजिन न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को पत्रांक प.( )रामआ/प्रसंज्ञान /2013/ /555 दिनांक 06.05.2013 प्रेषित

5.	29.04. 2013	''ऑपरेशन रोमियो शुरू, धरे गये 44 मनचले''	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 29.04.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला कलक्टर, जयपुर को पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 552–53 दिनांक 06. 05.2013 प्रेषित
6.	29.04. 2013	''बस में छात्रा के साथ दुष्कर्म''	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 29.04.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक बीकानेर को पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 554 दिनांक 06.05. 2013 प्रेषित
7.	29.04. 2013	''थाने में घुसकर अधिकारियों का घेराव''	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 29.04.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर शहर (पुर्व), जयपुर को पंत्राक प.6 ( ) रामआ/ प्रसंज्ञान/ 2013/ 551 दिनांक 06.05.2013 प्रेषित
8.	16.05. 2013	''3 नकाबपोशों ने किया दलित महिला से गैंगरेप''	दैनिक नवज्योति में प्रकाशित समाचार दिनांक 16.05.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा को पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 829 दिनांक 20.05.2013 प्रेषित
9.	17.05. 2013	''मूक बधिर बच्चों को पढ़ा रहा था अश्लीलता का पाठ''	दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार दिनांक 17.05.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा को पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 828 दिनांक 20.05.2013 प्रेषित
10.	18.05. 2013	''मूक बधिर छात्राओं से दुष्कर्म''	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 18.05.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर (पूर्व) जयपुर को पत्रांक प.828 दिनांक 20.05.2013 प्रेषित
11.	20.05. 2013	''पति की नौकरी के बदले मांगी अस्मत''	दैनिक नवज्योति में प्रकाशित समाचार दिनांक 20.05.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक सीकर को पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/

				2013/ 954 दिनांक 23.05. 2013 प्रेषित
12.	27.05. 2013	''रसूख का डंडा देख सरपट दौडी पुलिस''	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 27.05.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण, जयपुर को पत्रांकप.6( ) रामआ/ प्रसंज्ञान/ 2013/ 979 दिनांक 27.05. 2013 प्रेषित
13.	27.05. 2013	''पुलिस की ढिलाई देख ईच्छा मृत्यु मांगी''	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 27.05.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण, जयपुर को पत्रांक प. 6( )रामआ / प्रसंज्ञान/ 2013/ 978 दिनांक 27.05. 2013 प्रेषित
14.	27.05. 2013	''मासूम से मौसेरे भाई ने किया दुष्कर्म''	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 27.05.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी को पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 977 दिनांक 27.05. 2013 प्रेषित
15.	08.06. 2013	''गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूप में लगा रखे थे सीसीटीवी केमरे''	दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार दिनांक 08.06.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला कलक्टर भरतपुर को कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये।
16.	19.06. 2013	''पत्नी पर चाकू से वार, गर्दन मरोड़कर हत्या''	दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार दिनांक 19.06.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला उपायुक्त जयपुर शहर उत्तर पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 1550 दिनांक 26.06. 2013 प्रेषित
17.	19.06. 2013	''विवाहिता से दुष्कर्म, एक गिरफ्तार''		प्रसंज्ञान लिया गया। जिला उपायुक्त जयपुर शहर (पूर्व) प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 1551 दिनांक 26.06. 2013 प्रेषित

18.	19.06. 2013	'' सब इन्सपेक्टर की प्रताड़ना से दुखी युवती ने आत्महत्या की''		
19.	21.06. 2013	''परीक्षा में पास करने के बदले में मांगी अस्मत''	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 21.06.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 1579 दिनांक 27.06.2013 प्रेषित
20.	23.06. 2013	''वृद्धा के बाल काटे''	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 23.06.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, करौली को पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 1582 दिनांक 27.06.2013 प्रेषित
21.	23.06. 2013	''मासूम से दुष्कर्म के बाद नृशंस हत्या'' बाड़मेर	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 23.06.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर को पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 1581 दिनांक 27.06.2013 प्रेषित
22.	25.06. 2013	''तांत्रिक ने किया छात्रा की आबरू लूटने का प्रयास''	दैनिक नवज्योति में प्रकाशित समाचार दिनांक 25.06.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर को प्रेषित प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 1580 दिनांक 27.06.2013 प्रेषित
23.	26.06. 2013	''एक माह बाद होश में आई, दुष्कर्म की दास्तान सुनाई''	दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार दिनांक 26.06.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, पाली को पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 1578 दिनांक 27.06. 2013 प्रेषित

24.	04.07. 2013	"Victim kills self after told to withdraw rape case"	Times of India में प्रकाशित समाचार दिनांक 04.07.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 1972 दिनांक 09.07.2013
25.	05.07. 2013	''दुष्कर्म पीड़िता ने दी जान''	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 05.07.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर को पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 1970 दिनांक 09.07.2013 प्रेषित
26.	05.07. 2013	"Women offered lift on bike,raped"	ज्पउमे वि प्दकपं में प्रकाशित समाचार दिनांक 05.07.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर को पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 1971 दिनांक 09.07.2013 प्रेषित
27.	07.07. 2013	''जयपुर की छात्रा की बीकानेर में हत्या''	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 07.07.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर को पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 2093 दिनांक 10.07.2013 प्रेषित
28.	07.07. 2013	''विवाहिता की फिर कर दी शादी''	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 07.07.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर कोटा को पत्रांक प.6( ) रामआ/ प्रसंज्ञान/ 2013/ 2092 दिनांक 10.07.2013 प्रेषित
29.	18.07. 2013	''एमएनआईटी कॉलेज यौन प्रताड़ना के आरोपी शिक्षक पर मेहरबान''	दैनिक नवज्योति में प्रकाशित समाचार दिनांक 18.07.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। संयोजक विशाखा गाइडलाइन समिति, एमएनआईटी कॉलेज, जयपुर को प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 3541–42 दिनांक 25.07.2013 प्रेषित

30.	18.07.2013	''दहेज को लेकर विवाहिता की हत्या''	दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार दिनांक 18.07.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 3539 दिनांक 25.07.2013 प्रेषित
31.	18.07.2013	''स्कूल की छात्रा का अपहरण''		प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 3534 दिनांक 25.07.2013 प्रेषित
32.	10.09.2013	"Cop booked under rape charges for child assault"	ज्पउमे वि प्दकपं में प्रकाशित समाचार दिनांक 10.09.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर पश्चिम, जयपुर को पत्रांक प. 6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 4597 दिनांक 13.09. 2013 प्रेषित
33.	20.09.2013	''मेला देखने जा रही नवीं की छात्रा का अपहरण, गैगरेप''	दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार दिनांक 10.09.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर को पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 4598 दिनांक 13.09.2013 प्रेषित
34.	30.10.2013	''युवती को अगवा कर बक्से में बंद किया''	दैनिक नवज्योति में प्रकाशित समाचार दिनांक 30.10.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर पश्चिम, जयपुर को पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 6326 दिनांक 07.11. 2013 प्रेषित
35.	23.11.2013	''बूढे बलम संग नही जाना''	दैनिक नवज्योति में प्रकाशित समाचार दिनांक 23.11.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, जोधपुर, शहर, जोधपुर को पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 7204 दिनांक 26.11.

				2013 प्रेषित
36.	27.11. 2013	''तीन बच्चों के साथ मां कुए में कूदी''	दैनिक नवज्योति में प्रकाशित समाचार दिनांक 27.11.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर को पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 7220 दिनांक 28.11.2013 प्रेषित
37.	30.11. 2013	''महिला को घसीटने वाला निलम्बित''	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 30.11.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर को पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 7264 दिनांक 03.12.2013 दरगाह नाजिम, ख्वाजा साहब अजमेर, क्रमांक 7263 दिनांक 03.12.2013 प्रेषित
38.	03.12. 2013	''दहेज हत्या का आरोप''	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 03.12.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर पूर्व, जयपुर को पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 7270 दिनांक 04.12.2013 प्रेषित
39.	05.12. 2013	''विवाहिता ने खुदखुशी की''	दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार दिनांक 05.12.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर दक्षिण, जयपुर को पत्रांक प.6( ) रामआ/ प्रसंज्ञान/ 2013/ 7361 दिनांक 09.12.2013 प्रेषित
40.	06.12. 2013	''महिला पत्रकार से अश्लील हरकत''	दैनिक नवज्योति में प्रकाशित समाचार 06.12.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर पूर्व, जयपुर को पत्रांक प.6( ) रामआ /प्रसंज्ञान/ 2013/ 7383 दिनांक 09.12.2013 प्रेषित
41.	06.12. 2013	''गृह विभाग का बाबू और चचेरा भाई गिरफ्तार''	दैनिक नवज्योति में प्रकाशित समाचार 06.12.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर पूर्व, जयपुर को पत्रांक प.6( ) रामआ/ प्रसंज्ञान/ 2013/ 7382 दिनांक 09.12.2013 प्रेषित
42.	06.12.	''महिला	दैनिक भास्कर में	प्रसंज्ञान लिया गया।

	2013	पत्रकार से अभद्रता, पूर्व डेयरी एम.डी गिरफ्तार''	प्रकाशित समाचार 06.12.2013	पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर पूर्व, जयपुर को पत्रांक प.6( ) रामआ/ प्रसंज्ञान/ 2013/ 7381दिनांक 09.12.2013 प्रेषित
43.	06.12. 2013	''दुष्कर्म के आरोपी पार्षद सहित तीन गिरफ्तार''	दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार 06.12.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर को पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 7380 दिनांक 09.12. 2013 प्रेषित
44.	08.12. 2013	''स्कूल बस के इंतजार में खडी मासूम से छेड़छाड़''	दैनिक नवज्योति में प्रकाशित समाचार 08.12.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर दक्षिण, जयपुर को पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 7442दिनांक 10.12. 2013 प्रेषित
45.	10.12. 2013	''13 लडकियों ने किया आत्मदाह का प्रयास''	दैनिक नवज्योति में प्रकाशित समाचार 10.12.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर को पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 7454 दिनांक 11.12. 2013 प्रेषित
46.	13.12. 2013	''मंदबुद्धि युवती से दुष्कर्म की जांच का आदेश''	दैनिक नवज्योति में प्रकाशित समाचार 13.12.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर को पत्रांक प.6( ) रामआ /प्रसंज्ञान/ 2013/ 7730 दिनांक 17.12.2013 प्रेषित
47.	14.12. 2013	''वेश्यावृति कराने वाली महिला गिरफ्तार''	दैनिक नवज्योति में प्रकाशित समाचार 14.12.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। सहायक पुलिस आयुक्त, मानसरोवर, जयपुर को पत्रांक प.6( ) रामआ/ प्रसंज्ञान/ 2013/ 7768 दिनांक 17.12.13 को प्रेषित
48.	16.12. 2013	'हॉस्टल की छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास पर उबला जोबनेर''	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 16.12.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, जयपुर को पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 7769 दिनांक 17.12.2013 प्रेषित

49.	16.12. 2013	''नाबालिग से किया दुष्कर्म''	दैनिक नवज्योति में प्रकाशित समाचार 16.12.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 7798 दिनांक 18.12. 2013 प्रेषित
50.	18.12. 2013	''लूट के बाद मां–बेटे को ट्रेन से फेंका''	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 18.12.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। पुलिस कमिश्नर, जोधपुर को पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 7928 दिनांक 20.12. 2013 प्रेषित
51.	18.12. 2013	''पत्नी को जिंदा जलाने का प्रयास''	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 18.12.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर को पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 7929 दिनांक 20.12. 2013 प्रेषित
52.	18.12. 2013	''शिक्षक ने किया छात्रा से दुष्कर्म''	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार दिनांक 18.12.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 7930 दिनांक 20.12.2013 प्रेषित
53.	18.12. 2013	''महिला को पीटा, खंभे से बांधा''	दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार दिनांक 18.12. 2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ को पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 7926 दिनांक 20.12.2013 प्रेषित
54.	19.12. 2013	''ज्यादती के बाद कुए में धकेला, किशोरी की मौत''	दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार दिनांक 19.12. 2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ को पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 7927 दिनांक 20.12.2013 प्रेषित
55.	19.12. 2013	''दसवीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म का केस दर्ज''	दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार दिनांक 19.12. 2013	प्रसंज्ञान लिया गया। पुलिस उपायुक्त, जयपुर पूर्व को पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 7934 दिनांक 20.12. 2013 प्रेषित

56.	19.12.2013	''फेल करने की दी थी धमकी''	दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार दिनांक 19.12.2013	प्रसंज्ञान लिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पत्रांक प.6( ) रामआ/प्रसंज्ञान/ 2013/ 7931 दिनांक 20.12.2013 प्रेषित

(ब) आयोग द्वारा सत्र अप्रेल, 2013 से मार्च, 2014 में 05 प्रकरणों में जांच समितियां गठित की गई।

(स) वर्ष 2013–14 में 24 पीडित महिलाओं को शक्ति स्तम्भ, महिला सदन तथा बालिका सदन भेजा गया।

अध्याय–11

राज्य सरकार को प्रेषित अनुशंसाएं

राज्य महिला आयोग द्वारा महिला उत्पीड़न की रोकथाम, महिला सशक्तिकरण व महिला कल्याण कार्यक्रमों के लिए नीति निर्धारण हेतु राज्य सरकार को विभिन्न अनुशंसाएं भेजी गई जो इस प्रकार है।

आयोग द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित अनुशंसाएं एवं सुझाव 2013–14

क्र. सं.	दिनांक	पत्रांक	नाम	विषय
1.	15.05. 2013	694	पुलिस महानिदेशक, जयपुर	राजस्थान राज्य में संचालित सभी महिला डेस्कों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में।
2.	20.05. 2013	769	राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।	बालिका सदन/महिला सदन/विमन्दित गृहों/ अल्पावास गृहों की समस्याओं के संबंध में।
3.	22.05. 2013	850–83	समस्त जिला प्रमुख राजस्थान	राजस्थान राज्य में संचालित सभी महिला सहायता समितियों के संबंध में।
4.	31.05. 2013	1105	मुख्य सचिव, जयपुर।	बालिका सदन/महिला सदन/विमन्दित गृहों/ अल्पावास गृहों की समस्याओं के संबंध में।
5.	27.06. 2013	1571	श्री प्रकाश गुप्ता, विधि सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर	महिलाओं के उत्पीड़न एवं भरण पोषण संबंधी प्रकरणों की ओर ध्यान दिलाने के संबंध में।
6.	21.08. 2013	4039	माननीय मुख्यमंत्री, जयपुर।	जिलों में जिला महिला सहायता समितियों के समुचित गठन तथा उनकी नियमित रूप से बैठके

				करवाने के संबंध में।
7.	01.11. 2013	6070	पुलिस महानिदेशक, जयपुर	पुलिस जांच में प्रकरणों को अदमवकू (झूठा पाया गया बताकर) एफ आर लगा देने के संबंध में
8.	11.11. 2013	6521	निदेशक, राजस्थान स्टेट ज्युडिशियल एकेडमी जोधपुर।	सेक्शन 498ए तथा डी.वी. एक्ट 2005 पर न्यायिक अधिकारीयों के साथ कार्यशाला आयोजित करवाने बाबत।
9.	12.11. 2013	6704–05	प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, जयपुर	महिला यौन उत्पीड़न के अपराधों में आयु के आधार पर सजा में छूट दिये जाने बाबत नियमों की समीक्षा करने हेतु।
10.	26.11. 2013	7213	पुलिस महानिदेशक, जयपुर	महिला पुलिस कार्मिकों की समस्याओं के समाधान के संबंध में।
11.	09.12. 2013	7355	प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, जयपुर।	विधि आयोग की 227 वीं रिपोर्ट के क्रम में इस्लाम धर्म में परिवर्तित होकर द्विविवाह को रोकने बाबत्।
12.	05.02. 2014	9069	राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली।	अम्मान डिक्लेरेशन के अनुसार महिलाओं के अधिकारों बाबत्।
13	21.02. 2014	9719	माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान,जयपुर	प्रदेश में बढती घरेलू हिंसा,यौन हिंसा की घटनाओं को देखते हुए शराब कारोबार पर अंकुश लगाने बाबत।

(Complete)